आवश्यक/तत्काल निर्गत/फैक्स

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-30 /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक: लखनऊ: अगस्त25, 2021

विषयः- अवैध बस स्टैण्ड व बस स्टॉप की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय,

प्रायः देखने में आ रहा है कि भीड़-भीड़ वाले स्थानों एवं व्यस्ततम चौराहों पर सरकारी व प्राइवेट बसों के चालकों द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड/बस स्टॉप से अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बस रोककर सवारियां चढ़ायी/उतारी जा रही है, जिससे मार्ग अवरूद्ध हो जाने पर जनमानस में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुख्य चौराहों व भीड़-भीड़ वाले स्थानों पर अवैध बस स्टैण्ड व बस स्टॉप से दुर्घटना की प्रबल सम्भावना बनी रहती है तथा अत्याधिक भीड़ होने की दशा में चैन स्नेचिंग, छेड़खानी, पॉकेट मारी, इत्यादि घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम तथा यातायात को सुगम बनाये रखने हेतु शहर के भीड़-भीड़ वाले स्थानों एवं व्यस्ततम चौराहों पर अवैध रूप से बने बस स्टैण्ड/बस स्टॉपों को तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

- नगर निगम/परिवहन व अन्य विभागों द्वारा सड़क के किनारे अनुमन्य बस स्टैण्ड/बस स्टॉपों पर यात्रियों के बैठने हेतु बेंच, शेड व बस स्टॉप का बोर्ड एवं प्रसाधन व अन्य संसाधन आदि की व्यवस्था रहती है। शहर के विभिन्न स्थानों पर प्राइवेट बस संचालकों द्वारा अवैध रूप/मनमाने ढंग से बनाये गये बस स्टैण्ड व बस स्टॉपों को चिन्हित कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें समाप्त कराया जाए।
- रोडवेज, ट्रांसपोर्ट यूनियन अन्य विभागों के वाहन चालकों तथा निजी वाहन चालकों आदि की भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। कार्यशाला के दौरान इन चालकों को बसों आदि वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही रोकने एवं यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जाए।
- शहर से बाहर आने-जाने वाली प्राइवेट बसों के चालकों द्वारा व्यस्त चौराहों पर वाहन रोककर सवारियां उतारी व चढ़ायी जाती है, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा नगर निगम/परिवहन व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अवैध बस स्टैण्ड/बस स्टॉप पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए निर्धारित बस स्टैण्ड/बस स्टॉप पर ही वाहन खड़ा कर सवारियां को उतारने व चढ़ाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- बार-बार इस प्रकार की लापरवाही व यातायात नियमों का पालन न करने वाले प्राइवेट बस चालकों/संचालकों एवं सम्बन्धित ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार एम0वी0 एक्ट व उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम तथा यथावश्यक गैगस्टर एक्ट आदि के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

- शहर में स्थापित बस स्टैण्डों से बाहर जाने वाली बसों के चालकों द्वारा निर्धारित बस स्टॉप के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बसों को रोका जाता है, जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है तथा अनावश्यक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसे रोका जाए।
- शहर के व्यस्ततम चौराहों पर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को भी भलीभांति ब्रीफ कर दिया जाए कि निर्धारित बस स्टैण्ड/बस स्टॉप के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भारी/सवारी वाहनों को कदापि न रूकने दिया जाए।
- अवैध बस स्टैण्ड/बस स्टॉपों की रोकथाम हेतु एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाए तथा विशेष रूप से प्राइवेट बस चालकों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- उक्त निर्देशों का धरातलीय स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से समय-समय पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों व उच्चाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए तथा अनिमियतता पाये जाने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थानाप्रभारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

2- अतः प्रकरण की महत्ता एवं गंभीरता के दृष्टिगत अपने निकट पर्यवेक्षण में उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1- पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर एवं वाराणसी ।
2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध एवं यातायात, उ0प्र0।
2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।